रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092020-221689
CG-DL-E-11092020-221689

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 2020/भाद्र 20, 1942**
No. 446]	**NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2020/BHADRA 20, 1942**

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 552(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल अपर–महानिदेशक (साधारण ड्यूटी) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, अपर–महानिदेशक (साधारण ड्यूटी) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**–ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—**उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अन्य अर्हताएं.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **चिकित्सीय दृष्टया योग्यता.—**इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I, में है, इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

6. **सेवा के लिए उत्तरदायित्व.—**इन नियमों के अधीन उक्त पद पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करनें के लिए उत्तरदायी होगा।

7. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

8. **अधिवर्षिता.—**(1) अधिकारी जो अपर–महानिदेशक (साधारण ड्यूटी) का पद धारण किए हुए हैं, उस मास के जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करते है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत होंगे।

परन्तु कोई अधिकारी जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत होगे।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृति के लिए विहित आयु के पश्चात् सेवा विस्तार प्रदान नहीं की जाएगी।

9. **अन्यदेशीय की अपात्रता.—**कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परंतु इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बल में नेपाल या भूटान के नागरिकों की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

10. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

11. **व्यावृति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग, के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	पदों का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. अपर–महानिदेशक (साधारण ड्यूटी)	03* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘क’, राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर–15 (182200–224100)	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(6)
लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता	(i) 33 प्रतिशत प्रोन्नति भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा। (ii) 67 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।			

(11)

प्रोन्नति द्वारा :

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल में उन महानिरीक्षकों (साधारण ड्यूटी) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स रु 144200–218200 रूपये के स्तर–14 समूह ‘क’ में तीस वर्ष की सेवा में से तीन वर्ष महानिरीक्षक (साधारण ड्यूटी) के पद पर नियमित सेवा की हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार में अपर–महानिदेशक (साधारण ड्यूटी) या अपर–महानिदेशक (साधारण ड्यूटी) का पद धारण करनें के लिए पैनलित हुए है।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1 सचिव, गृह मंत्रालय, – अध्यक्ष 2 सचिव (कार्मिक), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग – सदस्य 3 विशेष सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य 4 महानिदेशक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 5 अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से एक महानिदेशक (अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा) – सदस्य	लागू नही होता

[फा.सं. I–12012/02/2018–संगठन]

एस. आर. मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2020

G.S.R. 552(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of read with clause (b) sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post in the Additional Director General (General Duty) Indo-Tibetan Border Police Force, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Additional Director General (General Duty) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of post, classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Scheduled annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Medical Fitness.—Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in Central Armed Police Forces, shall be eligible for appointment on deputation.

6. **Liability of Service.**—Any person appointed to the said post under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

7. **Disqualification.**— No person**,**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. Superannuation. — (1) Officers holding the rank of Additional Director General (General Duty) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of sixty years :

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation i.e. sixty years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

9. Ineligibility of non-citizens of India.—No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

10. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

11. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Selection or non- selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Additional Director General (General Duty)	03* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 15 (Rs.182200-224100).	Selection post.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) 33 per cent by promotion from Indo-

				Tibetan Border Police Force . (ii) 67 per cent by deputation from Indian Police Service.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
By promotion: From amongst Inspectors General (General Duty) in level 14 in the pay matrix Rs.144200-218200 with thirty years service in Group 'A' service out of which three years regular service shall be in the post of Inspector General (General Duty). **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **By deputation:** Officers of the Indian Police Service holding the post of Additional Director General (General Duty) or empanelled to hold the post of Additional Director General (General Duty) in the Central Government.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Secretary, Ministry of Home Affairs - Chairman; 2. Secretary (Pers), Department of Personnel & Training - Member; 3. Special Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; 4. Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; 5. Director General from other Central Armed Police Force - Member. (To be nominated by Chairman)	Not applicable.

[F. No. I.12012/02/2018-Org.]

S.R. MEENA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.11 23:00:22 +05'30'